

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-23/2013 (खण्ड-II)-

/कृ०, पटना, दिनांक .....अगस्त, 2015.

प्रेषक,

**बी० कार्तिकेय भा०प्र०से०**  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**श्री कोशलेन्द्र कुमार,**  
में० अलकनन्दा एग्रो केमिकल्स,  
प्रा० लि०, पाठक बिगहा,  
पो०-मुरगाँव,  
जिला-जहानाबाद।

**विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-130 दिनांक 22.10.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य अभिलेखों तथा जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित कुल 23 कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 130 दिनांक 22.10.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि के आधार पर दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Phorate 10%C.G	13	Mancozeb 75%WP
2	Acephate 75%SP	14	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8%SP
3	Imidacloprid 17.8% SL	15	Triazophos 20%EC
4	Cypermerthrin 10%E.C	16	Hexaconazole 5%SC
5	Fenvalerate 0.4% DP	17	Phenthoate 50%EC
6	Fenvalerate 20% E.C.	18	Propiconazole 25%E.C.
7	Hexaconazole 5%EC	19	Cartap Hydrochloride 50%SP
8	Monocrotophos 36% SL	20	Sulphur 80% W.P.
9	Carbendazim 50% WP	21	Carbendazim 12%+Mancozeb 63%WP
10	Profenophos 50% EC	22	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% E.C.
11	Cartap Hydrochloride 4% GR	23	Acephate 25%+ Fenvalerate 3% E.C.
12	Dimethoate 30% E.C.		

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा.- मेसर्स अलकनन्दा एग्रो केमिकल्स, प्रा० लि०, पाठक बिगहा, पो०-मुरगाँव, जिला-जहानाबाद।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-130 दिनांक 22.10.2014 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4036

/कृ0, पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।